यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी कसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग के माह 10/2016 से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रामवीर संह, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री गौरव पन्त, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30/10/2017 से 10.11.2017 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-प्रथम</u>

**1.** परिचयात्मकः- इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सहं एवं श्री दीपेश कुमार, स.ले.प.अ. श्री महोम्मद सलीम, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28/10/2016 से 10/11/2016 तक श्री डी.एन. मश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016/ से 10/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

**2. (I)** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः- ग्रामीण निर्माण वभाग का कार्य यह की व भन्न वभागो के निर्माण कार्य डपॉजिट कार्य के रूप में सम्पन्न कराना तथा अ धकार क्षेत्र, पूर्ण रूद्रप्रयाग।

(इकाई द्वारा संचा लत योजनाओं सहित क्रयाकलाप तथा भौगो लक अ धकार क्षेत्र बताया जाय)

**(II)** (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | शासन को सम र्पत रा श/अवशेष | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | स्थापना (सम र्पत) | गैर स्थापना (अवशेष |
| 2014-15 | - | 1014.25 | 120.30 | 104.44 | 1040.48 | 697.32 | 15.86 | 1357.41 |
| 2015-16 | - | 1357.41 | 140.86 | 104.79 | 1040.70 | 1195.97 | 36.07 | 1176.14 |
| 2016-17 | - | 1176.14 | 118.96 | 116.87 | 512.02 | 947.79 | 2.09 | 740.37 |
| 2017-18 (माह अक्टूबर तक) | - | 740.37 | 144.46 | 77.92 | 206.27 | 274.92 | - | 671.72 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः-

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा. अवशेष | प्राप्त | व्यय आ धक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| शून्य | | | | | |

(यदि लेखापरीक्षा अव ध तीन वर्ष से अ धक हो तो सम्पूर्ण अव ध का बजट आवंटन एवं व्यय ववरण अं कत कया जाय)

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना को सम्मि लत करते हुये इकाई **A** श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः- (संगठनात्मक ढांचा स चव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रद र्शत कया जाय)

1. स चव, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड शासन

तकनीकी संवर्ग मेः-

2. मुख्य अ भयंता स्तर-1 ( वभागाध्यक्ष) 3. मुख्य अ भयंता, स्तर-2 4. अधीक्षण अ भयंता 5. अ धशासी अ भयंता 6. सहायक अ भयंता 7. कनिष्क अ भयंता.

गैर तकनीकी संवर्ग मेः-

1. वत्त नियंत्रक 2. खंडीय लेखाकार 3. सहायक लेखा धकारी 4. प्रशासनिक अ धकारी 5. लेखाकार 6. प्रधान सहायक 7. वरिष्ठ सहायक 8. कनिष्क सहायक

**(iv)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। 03/2017 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया। अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग का वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत कये गये व्यय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग के आधार पर कया गया।

**(vi)** लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक शून्य से............ का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह...... स्टॉक शून्य है....... तथा 10/2017 तक की गई।

4. फार्म 51: माह 10/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनरा श रु में)।

भाग प्रथम (-)1441000

भाग द् वतीय शून्य

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 10/2017 के अन्त में (धनरा श रु में)

(क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम शून्य

(ख) सामग्री क्रय शून्य

(ग) नगद परिशोधन शून्य

(घ) निक्षेप 6,71,07,097=00 रू में।

(ङ) भण्डार शून्य

<u>भाग दो 'अ'</u>

प्रस्तर-1 प्रतिधारक दीवारों **(Retaining Walls)** के निर्माण में आई आर सी एसपी:**48**-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल **(IRC SP:48-Hill Road Manual)** की व शष्टियों एवं ड्रॉइंग्स के वपरीत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप ` **20.27** लाख की धनरा श का अपरिहार्य **(Avoidable)** व्यय।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क फरवरी 2014 में प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 216/10 अ धप्राप्ति/13/ दिनांक-12.02.14 के द्वारा प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) की व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स आई आर सी एस पी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल (IRC SP:48-Hill Road Manual) के प्रावधानों के आधार पर जारी करते हुए इन व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु समस्त अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप की प्रति मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, देहारादून को भी अनुपालनार्थ प्रष्ठां कत की गयी थी।

उक्त के अनुपालन में मुख्य अ भयंता, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा पत्रांक-2501/ ग्रा.अ भ.से./2013-14/दिनांक-22.02.2014 के द्वारा प्रमुख अ भयंता एवं वभागाध्यक्ष, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखंड, देहारादून द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के आधार पर जारी की गयी व शष्टियों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कए जाने हेतु ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड के समस्त अधीक्षण अ भयन्ताओं को निर्दे शत कया गया था एवं उक्त पत्र की प्रति ल प समस्त अ धशासी अ भयन्ताओं, ग्रामीण अ भयंत्रण सेवा वभाग उत्तराखंड को इस निर्देश के साथ प्रे षत की गयी थी उक्त व शष्टियां एवं ड्रॉइंग्स अपने-अपने अधीक्षण अ भयन्ताओं से प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था, 04 से 08 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों (Retaining Walls) को आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मेसनरी बेण्ड्स (RR dry stone masonry as per drawing number 02/RW/2014) के द्वारा निर्माण कराया जाना था एवं आठ मीटर से अ धक ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों के निर्माण से बचा जाना चाहिए परंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में इनको सीढ़ीनुमा 1:5 सीमेंट एवं सैंड मोर्टार में ड्राइंग 03/RW/2014 (As per drawing number 03/RW/2014) के अनुसार नि र्मत कराया जाना चाहिए।

जब क अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग कार्यालय के अंतर्गत ग्रामीण मोटर मार्ग एवं ड्रैनेज के अंतर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 की अव ध में स्वीकृत निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबन्धित अ भलेखों की जांच के दौरान पाया गया क (Annexure 'A')

के अनुसार प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का 1881.94 घन मीटर मात्रा में उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाते हुए ` 48.22 लाख की धनरा श व्यय की गयी। जब क 04 मीटर तक की ऊंचाई की प्रतिधारक दीवारों का निष्पादन यदि उक्त कार्यालय ज्ञाप में आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) में निष्पादित कराया जाता तो उक्त निर्माण कार्यों के निष्पादन पर ` 27.94 लाख की धनरा श ही व्यय करनी पड़ती। इस प्रकार प्रखण्ड स्तर पर 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों को उक्त कार्यालय ज्ञाप में जारी व शष्टियों के वपरीत आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के परिणामस्वरूप ` 20.27 लाख की धनरा श का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) कया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगत कए जाने पर अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रुद्रप्रयाग द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6/1:5 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराया गया परंतु भ वष्य में आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर वभागाध्यक्ष द्वारा जारी व शष्टियों के अनुरूप निर्माण कार्य कराया जाना यथासंभव सुनिश्चित कया जाएगा तथा उक्त प्रकरण में 04 मीटर ऊंचाई तक की प्रतिधारक दीवारों का निर्माण आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी (RR dry stone masonry as per drawing number 01/RW/2014) के स्थान पर आरआर ड्राइ स्टोन मेसनरी 1:6 सीमेंट मोर्टार मेसनरी में निष्पादित कराये जाने के पूर्व वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति प्राप्त कए जाने के संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया क उक्त प्रकरण में वभागाध्यक्ष स्तर से पूर्वानुमति नहीं प्राप्त की जा सकी परंतु भ वष्य में स्थलीय आवश्यकता होने पर सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमति लया जाना सुनिश्चित कया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क प्रखण्ड स्तर पर वभागाध्यक्ष स्तर से आई आर सी एसपी:48-पहाड़ी मार्ग मैन्युअल के आधार पर जारी व शष्टियों के अनुरूप न तो निर्माण कार्य ही निष्पादित कराये गए एवं न ही उक्त प्रकरण में सक्षम प्रा धकारी से पूर्वानुमति ही प्राप्त की गयी। जिसके परिणामस्वरूप ` 20.27 लाख की धनरा श का अपरिहार्य व्यय (Avoidable Expenditure) हुआ।

अतः प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण में ` 20.27 लाख की धनरा श के अपरिहार्य (Avoidable) व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

## Annexure-'A'

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sl. No.** | **Name of the Road** | **Bond No, Date and Amount (in lakh)** | **Bonded Quantity of RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)** | **Executed Quantity of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar (in Cum)** | **Aggremented rate of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar / Per Cum** | **Below /Above % as per CB** | **Expenditure incurred on execution of RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar** | **Aggremented rate of RR dry stone masonry Per Cum** | **Amount if quantities executed in RR Stone Masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar had been executed in RR dry stone masonry** | **Difference of rates between RR Stone masonry 1:6 or 1:5 in cement mortar and RR dry stone masonry (Column 7-Column 9)** |
| 1 | **Mayali – Rudraprayag km.42.5 to Sambad-Khariyal gaon motor road** | **23/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 21.60** | **205.39** | **20.13 (1:5)**<br>**491.18 (1:6)** | **3092.90**<br>**2804.10** | **Below 0.50** | **61,948.78**<br>**13,70,431.25** | **1548.00** | **7,87,550.34** | 6,44,829.69 |
| | | **24/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 21.23** | **193.29** | **20.65 ( 1:5)**<br>**153.66 (1:6)** | **3092.90**<br>**2804.10** | **Below 0.50** | **63,549.04**<br>**4,28,723.61** | **1548.00** | **2,68,482.72** | 2,23,789.93 |
| | | **22/EE/RWD/15-16 9.03.16 ` 14.48** | **124.83** | **51.87 ( 1:5)**<br>**24.57 (1:6)** | **3092.90**<br>**2804.10** | **Below 0.50** | **1,59,626.58**<br>**68,552.26** | **1548.00** | **1,17,737.47** | **1,10,441.37** |
| 2 | **Allopathic hospital Uchcha dhungi to qyunza motor road** | **10/EE/RWD/16-17 22.12.16 ` 24.47** | **153.75** | **188.08 (1:5)** | **3076.80 paid at 8% reduced rates i.e 2830.65** | **Below 15.00** | **4,17,925.09** | **1545.30** | **2,47,044.02** | **1,70,881.07** |
| 3 | **Uniyana-Ransi motor road** | **26/EE/RWD/15-16 10.03.16 ` 25.74** | **183.87** | **21.85 ( 1:5)**<br>**249.37 (1:6)** | **3077.50**<br>**paid at reduced rates i.e 2787.00** | **Below 21.50** | **52,786.05**<br>**5,45,570.44** | **1532.90** | **3,26,366.22** | **2,71,990.27** |
| 4 | **Khedakhal-Khirshu motor road to village Moltha motor road** | **31/EE/RWD/15-16 26.03.16 ` 31.67** | **356.13** | **266.71 (1:6)** | **3026.80** | **Below 17.01** | **6,69,959.87** | **1919.20** | **4,24,800.77** | **2,45,159.10** |
| | | **06/EE/RWD/16-17 14.10.16 ` 25.90** | **178.50** | **119.62 (1:6)** | **3026.80** | **Below 17.05** | **3,00,333.60** | **1919.20** | **1,90,432.21** | **1,09,901.39** |
| 5 | **Bheeri-Parkandi-Makku motor road to Tyung village motor road** | **29/EE/RWD/15-16 22.03.16 ` 26.61** | **522.16** | **149.09 (1:6)** | **3092.70** | **Below 20.00** | **3,68,872.51** | **1958.20** | **2,33,558.43** | **1,35,314.08** |
| | | **30/EE/RWD/15-16 22.03.16 ` 20.89** | **262.27** | **125.16 (1:6)** | **3092.70** | **Below 19.00** | **3,13,536.69** | **1958.20** | **1,98,521.53** | **1,15,015.16** |
| | **Total** | | **2180.19** | **1881.94** | | | **48.21,815.77** | | **27,94,493.71** | **20,27,322.06** |

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-**1** पशु सेवा केन्द्र के निर्माण से संबं धत धनरा श **₹ 14.81** लाख को पाँच वर्ष से भी अ धक अव ध से प्रखण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखा जाना।

अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग कार्यालय के लेखा अ भलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया क मुख्य पशु च कत्सा अ धकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा वर्ष 2011-12 के दौरान अटल आदर्श पशु सेवा केन्द्र, रौठिया के भवन निर्माण हेतु ₹ 14.81 लाख की धनरा श प्रखण्ड को उपलब्ध कराई गयी थी। जब क संप्रेक्षा के दौरान पाया गया क संप्रेक्षा ति थ (नवम्बर 2017) तक उक्त निर्माण कार्य भू म उपलब्ध न होने के कारण प्रारम्भ नहीं कया जा सका था। जिसके परिणामस्वरूप उक्त धनरा श प्रखण्ड स्तर पर वगत पाँच वर्षों से भी अ धक अव ध से अवरूद्ध रखी गयी थी।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगति कए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया क संबं धत वभाग द्वारा वर्तमान तक नि र्ववाद भू म उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कया जा सका। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कए जाने के पश्चात उक्त धनरा श को शीघ्र ही संबं धत वभाग को वापस कए जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्यों क जब संबं धत वभाग द्वारा कार्यस्थल हेतु नि र्ववाद भू म उपलब्ध नहीं कराई गयी थी तो प्रखण्ड स्तर से तुरंत उक्त धनरा श संबं धत वभाग को वापस की जानी चाहिए थी जब क प्रखण्ड स्तर पर उक्त धनरा श को पाँच वर्षों से भी अ धक अव ध से अवरूद्ध रखा गया है।

अतः पशु सेवा केन्द्र के निर्माण से संबं धत धनरा श ₹ 14.81 लाख को पाँच वर्ष से भी अ धक अव ध से प्रखण्ड स्तर पर अवरूद्ध रखे जाने संबधी प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग दो (ब)</u>

प्रस्तर-2 **₹ 12.44** लाख धनरा श राजस्व के रूप में जमा नहीं कया जाना।

वत्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के नियम 622 के अनुसार तीन पूर्ण वर्षों तक अदावाकृत ठेकेदारों की जमानत रा श को ठेकेदारों द्वारा मांग नहीं कए जाने पर व्यपगत जमा के रूप में राज्य सरकार को राजस्व के रूप में जमा की जानी चाहिए थी परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया क "संलग्न" ववरण के अनुसार क्रम संख्या 1 से 49 तक ₹ 12.44 लाख धनरा श डपॉजिट रजिस्टर में वर्ष 2005 से 2013 तक की अव ध में अदावाकृत रा श के रूप में तीन वर्षों से अ धक समय से लंबित पड़ी थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगति कए जाने पर कार्यालय ने स्वीकार करते हुये अपने उत्तर में बताया क ठेकेदारों से पत्राचार के साथ-साथ समाचार पत्रो में भी प्रका शत कराया गया तत्पश्चात भी यह रा श आदवाकृत रा श के रूप में पड़ी है इसे शीघ्र राजस्व में जमा करना सुनिश्चित कया जाएगा अतः ₹ 12.44 लाख धनरा श राजस्व के रूप में जमा नहीं करने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या |
|---|---|---|
| 61/2005-06 | शून्य | 1,2 |
| 81/2006-07 | शून्य | 1,2 |
| 15/2010-11 | 1,2,3, | 01 |
| 39/2014-15 | शून्य | 1,2,3,4 |
| 91/2016-17 | शून्य | 1,2 |
| योग | **03** | **11** |

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | अनुपालन आख्या बाद में प्रे षत की जाएगी। | | | |

## <u>भाग-IV</u>

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन कया जाय)

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | अव ध |
|---|---|---|---|
| 1 | ई. के.सी. डमरी | अ धशासी अ भयंता | 30.08.12 से 06.07.17 |
| 2 | ई. श्रीपति डोभाल | अ धशासी अ भयंता | 07.07.17 से वर्मान तक |

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता, ग्रामीण निर्माण वभाग उत्तराखण्ड, प्रखण्ड रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र को प्रे षत कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा धकारी/सा.क्षे.